<u>न्यायालय-सिविल जज (जू०डि०) कोंच, जनपद जालौन।</u>

मूलवाद सं०-133/2023

श्रीमती लीलादेवी बनाम प्रदीप कुमार स्वर्णकार आदि।

<u>दिनांक</u> <u>19.03.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय अधिवक्तागण हाजिर आये। पत्रावली वास्ते वादबिंदु हेतु नियत है। उभयपक्ष से प्रस्तुत मामले को उनके मध्य सुलह समझौते से निस्तारण हेतु अंतर्गत धारा 89 जा०दी०, पत्रावली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (मध्यस्थता केन्द्र) संदर्भित के विषय में पूछा गया तो पक्षकारों द्वारा विवाद की प्रकृति का हवाला देते हुए सुलह समझौते से मामले को निस्तारित करने से इंकार किया गया। तदुपरान्त उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गयेः-

1. क्या वादिनी वाद पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर तथाकथित विक्रयपत्र(बैनामा) दिनांकित 16.07.2022 निरस्त कराने हेतु विरूद्ध प्रतिवादीगण बैनामा निरस्तीकरण की आज्ञप्ति प्राप्त करने की अधिकारी है अथवा नहीं?

2. क्या दावा वादिनी का वाद अल्पमूल्यांकित है?

3. क्या दावा वादिनी द्वारा प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

4. क्या इस न्यायालय को वर्तमान वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है?

5. क्या दावा वादिनी का वाद विबन्ध के सिद्धांत से बाधित है?

6. वादिनी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

7. क्या प्रतिवादीगण धारा 35 ए के तहत विशेष हर्जा वादिनी से प्राप्त करने के अधिकारी है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त न तो कोई वाद बिन्दु बनता है और न ही बनाये जाने पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2, 3 व 4 दिनांक 15.05.2024 को पेश हो।

सिविल जज(जू.डि.)
कोंच, जनपद जालौन।